संख्या-130 /2018/1097/22-4-18-48(53)/10

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 27 अगस्त, 2018

विषय- जिला कारागार, आगरा की वर्तमान मुख्य प्राचीर के बाहर नई मुख्य प्राचीर के निर्माण हेतु निर्गत पुनरीक्षित स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-29872/नम-1/120, दिनांक-02.08.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि उक्त निर्माण कार्य की मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-463/22-4-2011-48(53)/10, दिनांक-23.02.2011 द्वारा रू0 578.02 लाख एवं शासनादेश संख्या-118/2015/1642/22-4-14-48(53)/10, दिनांक-18.05.2015 द्वारा रू0 826.56 लाख की लागत पर प्रथम पुनरीक्षित स्वीकृति तथा शासनादेश संख्या-87/2018/699/22-4-18-48(53)/10, दिनांक-03.08.2018 द्वारा रू0 896.50 लाख की लागत पर **द्वितीय** पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृति के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अबतक रू0 826.56 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय जिला कारागार, आगरा की वर्तमान मुख्य प्राचीर के बाहर नई मुख्य प्राचीर के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु पुनरीक्षित स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 69,94,000/- (रूपया उन्हत्तर लाख चौरान्नवे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी मद में किया जायेगा।

(3) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.12.2018 तक कर लिया जाय।

(6) कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जांय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रश्नगत योजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 23.02.2011 एवं प्रथम पुनरीक्षित स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 18.05.2015 तथा **द्वितीय** पुनरीक्षित स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 03.08.2018 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

5- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-051-निर्माण-03-कारागारों का उच्चीकरण, नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार-24-वृहत निर्माण कार्य" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक- 30.03.2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-130/2018/1097(1)/22-4-2018-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, आगरा।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कलाम मुहीउद्दीन
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in